but twice. We are not voting on the Bill. It is being circulated all over the country for eliciting opinion. What does the Prime Minister lose, what is the harm in getting opinions? We are not asking for a vote on it, nor is the House asked to vote on it now. With his large-heartedness for which he is well known I am sure he would not be opposed to receiving opinions on the Bill. He will not lose anything, nor will the Government fall if the opinions are received, the heavens will not fall, if the opinions are collected and kept in record here.

It will serve some purpose.

SHRI MORARJI DESAI: It won't serve any purpose.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: How do you know? I also know equally. It may serve some purpose in future. It may not serve some purpose to day. You and I are mortals, mere mortals. Who knows what is in store, what God has destined for the world?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He wants to propogate the idea.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: World Government is not for us alone, it is for the world. I am sure he has faith in God, firm faith in God, implicit faith in a divine destiny for the world; one world he believes in about that I am sure: he has indicated about it in his autobiography also, I believe. How it will come, when it will come, we may not know. It may come within ten years, within 15 years or 20 years. Why should we not have public opinion on this?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let us not have a debate on this because it is only for extension of time.

The question is:

"That this House do extend upto the 1st March. 1980, the time appointed for eliciting opinion on the Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

16.05 hrs.

INDIAN SOCIAL DISPARITIES ABOLITION BILL BY SHRI ROOP NATH SINGH YADAV—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before further consideration of the motion moved by Shri Roop Nath Singh Yadav is resumed, I would like to mention that two hours that have been allotted for this Bill have been already exhausted, and the House may extend the time allotted to this Bill. Is it the pleasure of the House to extend the time allotted to this Bill by one hour?

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I suggest that it may be extended by one and a half hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleausre of the House to extend the time allotted to this Bill by one and a half hours?

HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time is extended by one and a half hours.

Shrimati Ahilya Rangnekar was to continue her speech. She is not here. Mr. Chaturvedi.

SHRI SHAMBU NATH CHATURVEDI (Agra): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have gone through this Bill. I do not think that it will be conducive to promotion of the feeling of nationhood or integration in our community. The criterion by which this Bill should be judged is whether these reservations and concessions will lead to, as I said, national integration and assimilation or widening the gap between the communities.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*]

The next consideration is whether the benefits of reservation reach the weakest or the most backward sections of the community or are monopolised by a small section thereof, whether it creates a vested interest which at no time in the foreseeable future the beneficiaries will be prepared to forego, whether it is ultimately in the interest of the beneficiaries themselves that they should continue to walk on crutches.

Fifthly, whether these reservations do not destroy the esprit de corps of the services and bring down their efficiency and morale.

On all these points, I think, this Bill will prove harmful. What has been our experience? Concessions once enjoyed are never given up. We have the experience of our own country. We gave certain concessions and, ultimately, they went on and on and led to the division of the country. The same has been the experience of other countries also. In Czechoslovakia, the Sudeten minority agitated and, ultimately, it led to an armed invasion and the outbreak of the Second World War. This has been the history.

All the other concessions which the Backward Classes Commission has recommended are welcome. But this particular idea of reservations has not been countenanced by quite a number of its Members also. It has been said in the Report itself in a minute of dissent:

"A share in the services is important as the services represent power and prestige but considering the toal number of people from the backward classes who might come in through reservation, I fail to see how this give it a new lease of life. If would solve the larger problem of educational and social backwardness of the backward communities. The various constructive measures suggested in the Report for the amelioration of the backward classes will go farther in helping them than the reservation of a few seats."

This is another observation from Mr. Arunangshu De—he is not a member. He says:

"By making the caste the basis of ameliorative measures, we create vested interest in an institution against which we profess to be battleing and thus unwrittingly give it a new lease of life. It would defect teh very object of creating a casteless society.'

I would like to quote further from the minute of dissent by Dr. Anup Singh. He says:

"The real question is this. Does the system freeze the present caste and social divisions or does it strengthen those feelings and retard progress towards larger social cohesion?"

On all these grounds, I think, this is not a very healthy thing to do. For example, there is a movement in Bihar. We are seeing its evil consequences and it seems as if the society were disintegrating. There is a race for concessions and reservations on this ground or that ground. If the feeling of nation-hood is to be promoted, then these tendencies have to be stopped. It may appear to be very easy and expedient, at this time, to pass this Bill or to give these concessions. But, as I said in the beginning, the past experience shows that it will be suicidal. I think, a warning uttered by a member of the Commission, Dr. Anup Singh, is very much in point. I quote:

"I am concerned that concessions of reservations in the name of caste or class will weaken the sense of oneness and might culminate in disaster. We cannot afford to repeat the mistake of the past.'

[Shri Shambu Nath Chaturvedi]

I think that warning has to be heeded and we should not be in a hurry. We should give every sort of incentive to the people, every sort of facility, every sort of concession to bring the people to the right level, and even give them concessions in industries and other things. If it is on economic basis, they will naturally get them, but every caste or community should not try to get into this race by the back-door. There was some justification for reservation for Scheduled Castes because of the stigma of untouchability that handicapped them. But no such stigma attaches to backward classes: they have free intercourse with other members of the community.

Therefore, I think that this Bill, if it is passed and acted upon, will not be in the interests of the country, and therefore I oppose it.

श्री राम नरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय रूपनाथ सिंह यादव को बधाई देना चाहता हूं और उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार का बिल यहां पर पेश किया। यह कोई मामूली बिल नहीं है, इस बिल के साथ इस देश की 85 फीसदी जनता की भावनायें जुड़ी हुई हैं, उनका भाग्य जुड़ा हुआ है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि बहाना चाहे जो भी हो, उत्तर प्रदेश की सरकार के भाग्य का फैसला भी इसी आधार पर हुआ है और बिहार की सरकार का फैसला भी इसी आधार पर होने जा रहा है। जितना भी खून खराबा हुआ है, यह तो आप जब भी कभी गरीब को कुछ देने के लिए जायेंगे ऐसा आदमी जो सर्वहारा है, उसको आप धन देना चाहें, शिक्षा देना चाहें, नौकरी देना चाहें, जमीन देना चाहें तो इसी तरह के बलवे खड़े होंगे। आप किसी से कुछ लेकर ही दूसरे को देंगे तो जिससे आप लेंगे वह शक्तिशाली है, उसके पास इस प्रकार की ताकत है, लिखने के लिए अखबार है, बोलने के लिए वाणी है, चौराहे पर बैठ कर चुगल करने के लिए बुद्धि है और अच्छे से अच्छे लोगों को खरीद कर मनमाना काम कराने के लिए धन भी है। इसलिए यह सारी बातें तो खड़ी होंगी ही। परन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानून का अपना कोई अर्थ नहीं होता है बल्कि जो कानून को लागू करते हैं वे अपने मन के मुताबिक कानून का अर्थ देते हैं। अगर कोई गरीब आदमी किसी धनी पर एक डंडा चला दे तो उसके ऊपर 323 का मुकदमा चला दिया जायेगा लेकिन अगर एक धनी आदमी किसी गरीब को रोज पीटा करे डंडे से तब भी यही कहा जायेगा कि यह गैर-हस्तक्षेपीय अपराध है—इसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते। आप इस बात की कल्पना करें, जो कि कहीं कहीं सही भी है, कि जिस जाति का आदमी अत्याचारी है उसी जाति का थानेदार है, उसी जाति का सर्किल इन्स्पेक्टर है, उसी जाति का एस० पी० है, उसी जाति का डी० आई० जी० और आई० जी० है और उसी जाति का पुलिस मिनिस्टर भी है। ऐसी दशा में क्या आप उसको न्याय दिला पायेंगे? नहीं दिला पायेंगे। जब तक उन कुर्सियों पर हर तरह के लोग नहीं बैठेंगे तब तक किसी कानून का भी अर्थ गरीब के पक्ष में नहीं होगा। विद्यालयों में कई बातें आपको ऐसी मिल जायेंगी जहां पर मेहतर की जगह ब्राह्मण की नियुक्ति हुई है। क्या मेहतर के लिए भी मेहतर नहीं मिल सकते हैं? क्या चपरासी के लिए भी क्वालीफाइड आदमी नहीं मिलते हैं? उन लोगों को क्यों नहीं भरा जाता है? हरिजनों का कोटा क्यों नहीं पूरा किया गया? मैं कहना चाहता हूं कि जो भर्ती करने वाले हैं वे हरिजन विरोधी हैं, पिछड़ा-वर्ग विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं इसीलिए उनका कोटा नहीं भरा जाता। मैं आप से कहना चाहता हूं कि कानून का अर्थ लगाने के लिए उन कुर्सियों पर पिछड़ों को बैठाना पड़ेगा, जिन पर समान अवसर देकर आज तक उनको नहीं बैठाया जा सका है। एक आदमी सवेरे से चल चुका है, घोड़े पर सवार हो कर गया है, दूसरे को आप पैदल चलाना चाहते हैं, यदि घोड़ा भी दे दीजिए, तो क्या सवेरे से चले हुए आदमी के बराबर पहुंच सकेगा? पांच हजार वर्षों से जिन का आरक्षण रहा है और जो आगे चले गये हैं, उन का मुकाबला ये बेचारे लोग कैसे करेंगे, समान अवसर मिलने पर भी कहां कर सकेंगे और वह भी आप कहां उन को दे रहे हैं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं—आप तामिलनाडु में देखिए—वहां की असेम्बली में आज एक भी द्विज नहीं है, क्योंकि इतनी कटुता पैदा हो गई है। उस हवा को रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार ने दक्षिण भारत में आरक्षण किया, ताकि वह हवा उत्तर भारत में न फैलने पाये, लेकिन वही लोग जिन्होंने आरक्षण किया था, आज उत्तर भारत में उस का विरोध कर रहे हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आरक्षण का विरोध करने का नैतिक अधिकार किस को है, जो इस सदन में बैठे हैं, कितने लोग हैं? कांग्रेस ने जब दक्षिण भारत में विरोध नहीं किया तो उत्तर भारत में विरोध क्यों है? जनता पार्टी के लोग जिस चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर जीत कर आये हैं, अगर रत्ती भर भी उन के अन्दर ईमानदारी है और वह उसका ईमानदारी से पालन करना चाहते हैं तो इसका विरोध नहीं करना चाहिय और यदि विरोध करना चाहते हैं तो फिर असेम्बली से या पार्लियामेन्ट से, अपने पद से, इस्तीफा दे कर विरोध करना चाहिये। लेकिन भीतर-भीतर सब कुछ किया जा रहा है, भीतर से विरोध किया जाता है और ऊपर से कहते हैं कि घोषणा-पत्र का पालन करेंगे—ये दोनों काम एक-साथ नहीं चल सकते हैं।

आज जब पिछड़ों को देने की बात कही जाती

है तो कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर किया जाय–क्यों ? सभापति महोदय, 19वीं शताब्दी में दो महान पुरुष—एक यूरोप में और दूसरे हिन्दुस्तान में पैदा हुए। वहां "मार्क्स" और यहां "स्वामी दयानन्द सरस्वती" पैदा हुए। मार्क्स के सामने ईसाई थे, हिन्दुस्तान की जाति प्रथा उन के सामने नहीं थी, वहां औद्योगीकरण हो रहा था, इसीलिए उन्होंने वहां की स्थिति के अनुसार "मार्क्सवाद" का सिद्धान्त दिया, आर्थिक आधार पर दिया। लेकिन हिन्दुस्तान में स्वामी दयानन्द के सामने पाखण्ड था, सनातन धर्म का अत्याचार था, इसलिए उन्होंने पाखण्ड खण्डन का बीज बोया, आर्य समाज की स्थापना की। अगर मार्क्स हिन्दुस्तान में होते तो वे भी वही करते जो स्वामी दयानन्द ने किया और स्वामी दयानन्द यूरोप में होते तो वे भी वही करते जो मार्क्स ने किया।

केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि इस आधार पर हो या उस आधार पर हो। मैं आप से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में केवल धनहीन नहीं है, मनहीन भी हैं। धनहीन अगर ऊंचे मनवाला है तो वह करोड़पति मनहीन को भी ऊंची दृष्टि से देखता है। मैं कहना चाहता हूं—हमारे उप-प्रधान मंत्री माननीय जगजीवन राम जी के साथ पता नहीं कितनी बार पं० कमलापति त्रिपाठी खाना खाये होंगे, कितने पण्डितों ने खाना खाया होगा, स्वयं बाबू सम्पूर्णानन्द भी खाये होंगे, लेकिन जब हमारे उप-प्रधान मंत्री बनारस गये तो सम्पूर्णानन्द जी की पत्थर की मूर्ति उनके छूने से अपवित्र हो गई और पं० कमलापति त्रिपाठी के लड़के ने उसको गंगाजल से नहलाया। मैं पूछता हूं—क्या पं० कमलापति त्रिपाठी को शुद्ध करने के लिए भी कोई उपाय किया गया ? यदि पत्थर की मूर्ति गंगाजल से नहवाने से शुद्ध हो सकती है तो पंडित जी की तो नस-नस और हाड़-हाड़ उनके साथ खाना-खाने से अपवित्र हो चुका था उन को शुद्ध करने के लिए तो उन को सशरीर गंगा में डुबोया जाना चाहिये था। जब हक देने की बात होती है तो कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर हो जाये, यह जगजीवन राम को कैसे मिलेगा, लेकिन जब टिकट लेने की बात होती है तो दिन भर बाबू जी, बाबू जी, कहते हैं, बाबू जी के पैर छू कर प्रणाम करते हैं, लेकिन जब समानता का अधिकार देना हो तो मूर्ति छू जाने पर गंगाजल से प्राक्षालन करते हैं—ये दोनों बातें नही चल सकती हैं। इसलिए हिन्दुस्तान में आर्थिक और सामाजिक दोनों के आधार पर आरक्षण करना पड़ेगा।

जो हिन्दू हैं, उस को तो आरक्षण का विरोध करने का कतई अधिकार नहीं है। आप मनुस्मृति को पढ़ लीजिए—मनुस्मृति में आरक्षण है या नहीं ? उस में लिखा हुआ है—ब्राह्मण यह काम करेगा, क्षत्रीय वह काम करेगा, वेश्य वह काम करेगा, शूद्र यह काम करेगा। तो फिर आप हमारे बाप-दादा को छोड़िये, अपने ही बाप-दादा का किया हुआ आरक्षण मान लीजिए। खेती, नौकरी, व्यापार नीच लोगों को दिया गया है, आप उन पर ही छोड़ दीजिए। वैश्य और शूद्र आपस में निपट लेंगे। मनुस्मृति को ही मान लीजिए जो आपके बाप-दादा की है और यदि नहीं मानते हैं तो फिर हमारे बाप-दादा का संविधान मानिये। जो डा० अम्बेदकर और विधान परिषद् के लोगों ने बनाया था। कोई तो मानिये। जब मनुस्मृति के अनुसार आदिकाल से आप आरक्षण लेते आ रहे हैं, तो आज आरक्षण का विरोध क्यों ? मीठा-मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जब अधिकार लेना चाहते हैं, तो मनुस्मृति की बात करते हैं और जब मनुस्मृति के अनुसार और संविधान के अनुसार आरक्षण देने की बात आती है, तो उस का विरोध शुरू हो गया है। अगर संविधान के अनुसार नहीं दे सकते और समझते हैं कि सामाजिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों का भला हो जाएगा, तो हरिजनों का जो भला हुआ है, वह हमारे सामने है। कितना आरक्षण आपने दिया है और कितना इन्होंने पाया है, वह सब के सामने है यहां तक कि चपरासी यानी क्लास 4 के कर्मचारियों का कोटा भी पूरा नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिन को एकोमोडेट करना है। आपने 10, 12 मिनट ले लिये हैं।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं। इसलिए मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए।

सभापति महोदय : मेरे पास सूची है, बहुत लोग इस पर बोलने वाले हैं। इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम नरेश कुशवाहा : अगर संविधान के अनुसार घाटा लग रहा है, तो हम पिछड़े वर्ग के लोग किसी का एक पैसा भी अधिकार नहीं छीनना चाहते हैं। जितना इस देश में बड़े लोगों का हिस्सा है, जितनी जनसंख्या इस देश में उन लोगों की है, उसके अनुसार अपना आरक्षण वे करवा लें, बिल्कुल अपना आरक्षण करवा लें। हम को किसी के हिस्से की जरूरत नहीं है। पिछड़े हुए हरिजन मुसलमान अपने आप निपट लेंगे। अगर नहीं और आर्थिक आधार पर आप करना चाहते हैं तो आर्थिक और सामाजिक दोनों कीजिए। चाहे किसी जाति का हो, आर्थिक आधार पर सवा छः एकड़ से ऊपर का काश्तकार, 500 मूल वेतन लेने वाला कर्मचारी और इन्कम टैक्स देने वाला व्यापारी, इन की जितना संख्या है, उस के हिसाब से आरक्षण कर दीजिए और इस के साथ ही सवर्णों की जितनी संख्या है उन का आरक्षण कर दीजिए और दो, चार परसेन्ट का और इनाम दे कर उन का आरक्षण कर दीजिए। आज क्या हो रहा है कि भर्ती करने वाला, रिक्रूटमेंट करने वाला अफ़सर सवर्ण है और वह किसी बैकवर्ड को भर्ती नहीं करना चाहता है। इन्टरव्यू इसलिए होता है कि सब को छांट दिया जाये इन्टरव्यू में। एक बात और है। आप आई.ए.एस.पी.सी.एस. और आई.पी.एस. के फार्म को उठा कर देख लें। उस फार्म में लिखा हुआ है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार इस सर्विस में है या नहीं यानी उस फार्म को देख कर ये रिक्रूटमेंट करने वाले लोग यह समझ जाते हैं कि यह हमारी जाति का है या नहीं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आधार पर अगर खला छोड़ दिया जाएगा, तो वे अपनी जाति के सारे अफ़सरों को ही भर लेंगे। इसलिए इस चीज पर आप बन्धन लगाइए। हम उन

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

का हक नहीं लेना चाहते हैं और गरीब सवर्णों से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम से लड़ोगे तो 15 में से 2, 4 परसेन्ट पा जाओगे, 20, 25 परसेन्ट में से 2, 4 परसेन्ट पा जाओगे लेकिन हम से मिल कर अगर रहोगे तो हम 15 परसेन्ट ही अकेले तुमको दे देंगे, बाकी हम निपट लेंगे और लड़ कर ले लेंगे। इसलिए गरीब पिछड़े हुए लोगों से हमारा कोई द्वेषभाव नहीं है। सवाल यह है कि आप हम को कहां तक संरक्षण देना चाहते हैं और कितना हमारा हक देना चाहते हैं।

एक बात योग्यता की कही गई। अगर आप योग्यता के आधार पर करना चाहते हैं, तो आप का बेटा जिये अगर आप कलक्टरी करना चाहते हैं तो करें, अगर आप कमिश्नर का कार्य करने के लायक हैं तो करें लेकिन फिर जो लोग हल जोतने के लायक हैं, वे हल जोतें। जो लोग खेत में कुदाल नही चला सकते, उन की जमीन छीन कर आप हमें दे दीजिए। जो लोग खेतों में काम करने लायक हैं, वे जमीन जोतें। बाकी जो नौकरी करने लायक हैं, उन को नौकरी दे दीजिए, इस में कोई एतराज नहीं है। आज तो आप खेत भी रखेंगे और चपरासी की नौकरी भी आप रखेंगे। हर तरह की नौकरी के लिए आप योग्य हैं और हम हर काम के लिए अयोग्य हैं, यह बात नहीं चलेगी। अगर आर्थिक आधार पर ही करना है, तो एक आदमी एक रोजगार, खेती, नौकरी या व्यापार मान कर कर डालिये, बिल्कुल आर्थिक आधार पर कीजिए, हम बिल्कुल भागने वाले नहीं हैं लेकिन डा० लोहिया का कहना था कि इस देश में वर्ग और वर्ण एक ही हैं। अगर एक हरिजन के लिए हरिजन लड़ाई लड़ता है, तो लोग कह देंगे कि जातिवादी है और अगर एक ब्राह्मण लड़ता है तो कह देंगे कि वर्ग संघर्ष है। एक ग्वाले के लिए कोई उस जाति का लड़ाई करता है, तो कह देंगे कि जातिवादी है और अगर कोई पंडितजी या बाबू साहब लड़ाई करता है, तो कहेंगे कि वर्ग संघर्ष है।

इस वर्ग संघर्ष को दूर करना नामुमकिन है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक जाल में हम को फंसाया है। अगर ईमानदारी से आर्थिक आधार पर आप करना चाहते हैं, तो मैं दावत देता हूं, चुनौती देता हूं कि आप इस को करिये "लेकिन एक आदमी, एक रोजगार, खेती, नौकरी या व्यापार" वाले सिद्धान्त को अपना कर आप आरक्षण कर दें। आप आर्थिक आधार मान कर आरक्षण कर लीजिए लेकिन कीजिए तो सही। खेती और व्यापार चंद आदमियों और चंद घरानों के हाथों में सिमट गया है। उनसे इसे निकालना होगा। आपको यह मान कर चलना होगा कि आजकल पैसा ही सब कुछ है। जिस लड़की पर उंगली उठाने पर कत्ल हो सकता है, जब उसी लड़की का रिश्ता करने के लिए जाति वाले के यहां जाते हैं तो वहां जाति नहीं है पैसा जाति बन जाता है। किसी गरीब ब्राह्मण का धनी ब्राह्मण से गरीब ठाकुर का धनी ठाकुर से, गरीब अहीर का धनी अहीर से, गरीब कोहरी का धनी कोहरी से और गरीब चमार का धनी चमार से बेटी का रिश्ता नहीं है। अगर श्रीमन् ये चुनाव न हों तो इन जाति वालों को कोई घास भी न डाले। आप चाहे जिस आधार पर आरक्षण कीजिए, पर कीजिए तो सही, इस में हील-हवाला न कीजिए। इस से जनता पार्टी का चेहरा निखरेगा, गरीब खुश होगा और देश खुशहाल बनेगा।
इन शब्दों के साथ, जय हिन्द।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Mr. Chairman, Sir, I welcome the laudable objectives contained in the Bill of my friend, Shri Roop Nath Singh Yadav. I must say that as the objectives go, they are not only laudable but they are workable also to a large extent. And, any honest Government committed to eradication of poverty and the social tension, and to equality of all sorts, must go ahead in a righteous spirit, in a right spirit and in an urgent manner to go about doing all the things that he has wanted us to do through this Bill. The Statement of Objects which he has appended to this Bill is very good. Therefore, I started by saying that I welcomed the laudable objectives. But, having said that, I want to tell a few things which, I am sure, not only he but also the entire House, will try to appreciate in the manner in which I am trying to put before the House. So, the Bill, as it is framed, looks to me to be rather ambitious; ambitious because, it is likely to be impracticable. My anxiety is that, in order to solve certain problems which have been dodging us for decades, if not for centuries—I should have said, perhaps, for centuries, not merely for decades—we may do something in a few decades which will create more problems to solve. In other words, what I suggest is that through this Bill and through many efforts and endeavours of this nature, we may do something which, instead of solving the problems, may create more of them.

That is my anxiety. I am only giving expression to this anxiety because I have been feeling about it in the last couple of years, particularly, in our country, in the last few years. Everybody agrees with that one beautiful sentence which Shri Roopnath Singh Yadav has put in as the objective in his Bill. I quote:

"The object of the Bill is to make the country strong".

I could not agree more with him on that point. The harijans and the girijans are not demanding any kind of patronage or any kind of charity. They are demanding justice. It is our duty to give more than justice and to see to it to that justice is done to them effectively and also urgently.

I grant that point straightway and I also grant further the point that by keeping a large number of people economically, socially and oherwise backword—educationally and culturally also—you are keeping the entire country backward. After all, the whole nation, if it goes backward, it gets stultified and you cannot expect certain communities to go ahead by keeping many sections of our community to remain where they are and not only that but also to push them backward. It is true of any game, if you want to run together in which case then, you cannot say that two people will run ahead and four people will remain where they are and ten will go back. That is not going ahead together.

Therefore, the country has to be made strong There the objective is good. Eradication of social and educational backwardness of people has to come about. He referred to Kaka Kalelkar Commission Report. I am very sorry. I hope I am not wrong if I say that Kaka Kalelkar Commission was stated on 29th of January, 1953 and concluded on 30th March, 1955. If the dates are correct then I am sorry to say that Kaka Kalelkar Commission's work has remained more or less on paper all these years less. Of course I am not finding fault with this or that government. It is the fault of all of us. The fac remains that Kaka Kalelkar Commission Report, as many other reports of this nature, needs to be dug out of the archives of the Government of India, from the various Blocks and Bhawans of the capital, to see that whatever is relevant or uptodate, imaginative and bold in those reports is being implemented as earnestly as possible and as urgently as possible.

But, Sir, when he talks about reservations and quota system and progressive reservations and progressive quota of first class officers, second class officers and of 50 per cent, 40 per cent and 30 per cent—I will not go into the details because of paucity of time—my point is, whether that will not recoil on the generally established pattern of the country in terms of employment, economic opportunities and so on. To an extent, we must tackle the problem that baffles us all from the point of view of giving provisions; it is alright. I agree. But the caution I want to voice in this House today, with all humility and courage of conviction on my part, is to tell the House and the country that we may not take the other extreme and go about providing in terms of special reservation to such an extent that the very objectives get defected. Afterall the quality of life and the general sense of Justice or fairplay and even the conditions of equality have to be met in a larger perspective also, and from that angle, I feel, although it is true that the Direcive Principles of our Constiution and the Preamble of our Constitution talk of the dignity of individual and of many economic and other legislations, yet let us to do anything which will mean creating more problems than solving them.

My friend, Shri Roop Nath Singh Yadav, has referred to the question of equality. Of course, we all know how in England, for example, in the twenties and thirties in this century, the Fabian socialists Mr. R.H. Tawney, Mr. Harold Laski, Mr. Aneurin Bevan and Sir Stafford Cripps all these people—including, of course, founders of Fabian society like Syd-ney and Beatrice Webb, George Bennard Shaw, H. G. Wells and heaven knows how many more, all of them did want all these things to happen, which you and I also want to happen, namely, eradication of poverty, upliftment of socially backward people and creating conditions of equality—but, Sir, they went about doing this, inspite of being an Imperialist country with all the wealth at their com-

[Prof. P. G. Mavalankar]

mand, not overnight but in a gradual fashion. The symbol of the Fabian Society is 'tortoise' and their motto is: "When I strike, I strike hard!"

But, Sir, the trouble in India is that we have not bothered to strike. Therefore, if we strike hard and strike steadily and well, then even if the pace is slow, I am quite sure we will be in the right direction. In our effort to striking hard and striking hastily however, we might go to the other extreme. That is the only caution I want to utter. Therefore, I say equality means equal opportunities and equality means, in the words of Harold Laski "a certain levelling process." What we want is that the very top must come down and the large number of people who are low must be lifted up that must be done. If that has to be done then I can say that the Bill has many good lessons to give and government cannot say that the thing is good but we ask the Member to withdraw the Bill, which he will ultimately withdraw because he belongs to the majority party. But the point is that this House must give an assurance that because the Government accepts this point in principle it will be dedicated to the task of doing these things effectively but gradually without going to the other extreme of providing all kinds of things which are impractical.

To conclude, Sir, the policy of reservation requires an overall and honest review by this Parliament and by the legislatures of this country. We are politicians and peoples' representatives must have enough courage to tell our people, especially those who are economically, politically and educationally backward, what can be done in time and what cannot be done in time.

But the trouble is we know that at the time of election, votes are in bulk on that side, that is, the side of the socially and economically weaker people, and so we go about talking glibly in terms of doing this or that; and when the time comes to do something, it is almost zero. The better thing and the honest thing would be to tell our people how for we can go, thus far and no further.

We must understand that this kind of work cannot be done overnight but it has to be done in stages and on surer foundations in the next 10 years or 20 years or 30 years.

Now, Mr. Chairman, the bitterness on the part of the Girijans and the Harijans and other weaker sections is natural and pardonable and to some extent even justifiable but all the same that bitterness is to be avoided. And if we do not understand this phenomenon and face the problem squarely, then, I am afraid, more bitterness of this sort will create more social tensions, which in turn will bring about more confrontations; and, Sir, more confrontations can never solve problems, whether it is political, social or economic confrontations.

So, with that note, . Mr. Chairman Sir, I want to conclude, by saying this that it is really three things which are required: Education, elimination of poverty and proper development of culture. If these three things are done and if you go on doing things on the basis of doing justice to all those who are economically, socially and politically backward, and not necessarily only the Harijans and the Girijans as such, then only we shall be able to solve these gigantic problems and challenges which we face. But, if you go to the other extreme, and go on providing reservations, we will create another set of problems of a different sort which will boomerang on us, and let Heaven only save us from that kind of a situation That is what I feel.

श्री दलपत सिंह परस्ते (शहडोल) : सभापति महोदय, मैं माननीय रूप नाथ सिंह यादव का आभारी हूं जो वह इस विधेयक को सदन में लाये। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि देश में मनुष्य तो रहता है, मनुष्य के लिये यह देश बना है। अगर हम देश में मनुष्य नहीं रहेंगे तो यह धरती किस काम की। इसी प्रकार समाज में और समाज के लोगों को दो वर्गों में बाटना देश के हित में नहीं है आज कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना

चाहिये । हम इस चीज को मानते हैं । मगर इसको कतई नहीं मानते जो सदियों से पिछड़े हुए लोग हैं उनको उठाने के लिये यदि हम आरक्षण की मांग करते हैं तो न्यायोचित नहीं है । हमारा कहना है कि ऐसी मांग सर्वथा न्यायोचित है । हरिजन, आदिवासी तथा अल्प-संख्यक आज ऐसी विभीषिका में पड़े हुए हैं जिसके कार उन का जीवन यापन बहुत ही कठिन हो गया है, उसके लिये उनको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मुट्ठी भर लोग जो धनी हैं वह अपने निहित स्वार्थ के लिये इन लोगों का हमेशा शोषण करते हैं । आप जिस क्षेत्र में देखें इन लोगों का शोषण ही शोषण होता है । चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या आर्थिक हो । इन विषमताओं को जब तक हम नहीं मिपटायेंगे तब तक समाज की गरिमा नहीं बन सकती । उदाहरण के तौर पर यदि जमीन समतल है तो गाड़ी सही तरीके से चल सकती है, अगर सड़क ऊंचीनीची है है तो गाड़ी चल नहीं सकती । इसलिये यह जरूरी है कि जब तक हरिजन, आदिवासी और अल्प संखयकों को संरक्षण नहीं दिया जायेगा, इनका विकास नहीं हो पायेगा । इसलिये मैं इस बिल का तहे-दिल से समर्थन करता हूं ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : माननीय सभापति जी, श्री रूपनाथ सिंह यादव ने जो सामाजिक विषमताओं और जातिवाद का उन्मूलन करने सम्बन्धी विधेयक यहां रखा है, मैं उस का समर्थन करता हूं ।

यह बात सही है कि बहुत समय से कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन की अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई है । जो अपने को उच्च जाति के कहते हैं, उन के पास साधन होने से वह बराबर अपनी तरक्की करते रहे, हर तरीके से चाहे वह पाठशाला में हो, सामाजिक हो या कोई भी स्थान क्यों न हो । जिन के हाथ में शक्ति रही, या प्रभावशाली रहे या जो अपने को उच्च मानते रहे वह बराबर तरक्की करते गये । जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन के मामले में जितना ध्यान देना चाहिये था वह नहीं दिया गया ।

16.48 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*].

हरिजन आदिवासियों के लिये कुछ आरक्षण रहा, उन में से कुछ लोगों को जरूर साधन मिला और वह आगे बढ़े, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन के बारे में कभी नहीं सोचा गया । इस विधेयक में केवल इतना ही है कि पिछड़ी जाति के लोगों के लिये भी आरक्षण की बात कही गई है । इस पर आज सारे देश में मंथन हो रहा है । जो कुछ उच्च जाति के लोग हैं वह ऐसा सोच रहे हैं कि इनका भी आरक्षण होगा इसलिये हम को इस में दिक्कत होगी और ऐसा सोच कर ही वह इस का विरोध कर रहे हैं । मैं यह मानता हूं कि उन का विरोध स्वार्थ-सिद्धि के कारण है । कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रख कर यह करना चाहिये । आर्थिक दृष्टि किस को माना जाये ? मैं केवल इतना सुझाव रखना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों में भी ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं जो काफी सम्पन्न हैं, बड़ी शक्ति रखते हैं और अभी भी अपनी शक्ति के द्वारा अपने साधनों का दुरुपयोग कर के जो पिछड़ी जाति के हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं और वह इस सुविधा से नाजायज फायदा भी उठायेंगे ।

हम केवल इतना चाहते हैं कि ऐसी गारन्टी जरूर रखी जाये ऐसा माप-दंड जरूर रखा जाये कि जो शक्तिशाली और सम्पन्न हैं, उन के लिये जरूर इस में कुछ रुकावट रखनी चाहिये ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इस में रखा है कि यह 15 वर्ष से ज्यादा लागू नहीं होगा । उन्हों ने इस बात को सोचा है, वह इस बात के विचारक हैं, हम भी इस बात के विचारक हैं कि जब आगे ज्यादा दिन जातिवाद नहीं चलना चाहिये, इसे समाप्त होना चाहिये, जातिवाद के नाम पर हम को कोई चर्चा नहीं करनी चाहिये चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुर्मी हो या लोदी हो । इस तरह की बात हम को दिमाग में नहीं रखनी चाहिये । इस बात को ले कर हमें कोई आरक्षण या और किसी तरह की बात नहीं करनी चाहिये । हम को देखना चाहिये कि कौन बड़ा है और कौन जुल्म करता है । एक मानव के नाते से देखना चाहिये कि कौन गलत तरीके से काम करता है, कौन शोषण करता है । इस तरीके से अपने विचार रखने पड़ेंगे, तभी हम इस जातिवाद से दूर हो सकते हैं । इस विधेयक में आरक्षण की व्यवस्था की मियाद पन्द्रह वर्ष रखी गई है । यह सही है । हम सब को इस बारे में गंभीरता और निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिए । हमें केवल इस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिये कि इन लोगों के लिये आरक्षण हो रहा है, हमारा क्या होगा । हमें स्मरण रखना चाहिये कि पिछड़ी जातियों के लोग सदियों से पीड़ित रहे हैं ।

आज भी ऐसे स्कूल बने हुए हैं, जिन में पिछड़ी जातियों, या हरिजन आदिवासियों के बच्चे नहीं जा सकते हैं । सरकार समानता की बात करती है, जात-पांत का विरोध करती है । इसलिए धर्मशाला या शिक्षण संस्था आदि जिस किसी स्थान में इस प्रकार का भेदभाव बरता जाता है, तो सरकार को उसे बन्द कर देना चाहिए । अभी भी गांवों में ऐसे व्यक्ति हैं—हरिजन आदिवासी और पिछड़ी जातियों के लोग –, जो कुंओं से पानी नहीं भर सकते हैं । अगर गांव के प्रमुख आदमी यह तय करें कि उन पर जुल्म और ज्यादती करनी है, तो वे इन वर्गों के लोग कुंओं से पानी नहीं ले सकते हैं, साधारण चबूतरे पर नहीं बैठ सकते हैं । आज भी देहात में ऐसे अध्यापक हैं, जो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं । वहां आज भी ऐसे लोग हैं जो छाता नहीं लगा सकते हैं, घोड़े पर सवार नहीं हो सकते हैं । आजादी के 31 वर्ष के बाद भी देश में ऐसी प्रथायें चल रही हैं । इन प्रथाओं को तोड़ने के लिये सरकार को कानून बनाने चाहियें ।

गांवों में गरीब लोग अपने लड़कों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे घर में जाना है । इस लिए इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि हर पंचायत क्षेत्र में दसवीं क्लास तक का बालिका विद्यालय हो, जिस में निशुल्क शिक्षा दी जाये ।

इस विधेयक में आवास की व्यवस्था के बारे में भी कहा गया है । आज ऐसे कितने ही पिछड़ी जातियों के लोग और हरिजन आदिवासी हैं, जिन के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं । उन्हें दूसरों के दरवाजे पर झोपड़ियों में रहने के लिये बाध्य होना पड़ता है । गांव हो, कस्बा हो, या शहर हो, हर एक व्यक्ति को रहने के लिये मकान और पीने के लिये पानी मिलना चाहिये ।

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

यह विधेयक बहुत अच्छा है और मैं इस का समर्थन करता हूं। आरक्षण की व्यवस्था जरूर की जाये, लेकिन यह बंदिश जरूर होनी चाहिये कि जो बड़े बड़े समृद्ध लोग हैं, लखपति और करोड़पति हैं, इस विधेयक की आड़ में वे भी आरक्षण की मांग न करें।

*SHRI A. V. P. ASAITHAMBI (Madras North): Madam Chairman, on behalf of Dravida Munnetra Kazagam, I wholeheartedly welcome the Indian Social Disparities Abolition Bill, 1977 introduced by my hon. friend Shri Roop Nath Singh Yadav. The legislative effort of my hon. friend is really commendable. I should say that the Government should accept this Bill in principle and later can bring forward its own Bill containing similar provisions. This is an important piece of legislation.

The basic reason for the perpetuation of social disparities over a long period of 2000 years is the caste system in Hindu society. The economic disparities can be done away with by implementing certain schemes. Even otherwise, we have lottery chits in almost all the States and if a poor is lucky he can become a lakhier by purchasing just one-rupee lottery chit. But casteism is so deep-rooted in our society that a low-caste man can never become equal to a high-caste man in our country. Many mighty Empires have come and gone. 644 Princely States in the country have mingled with the dust of history. Yesterday's rich man has become poor today. But we have not been able to break the shackles of caste system so far, which has been assidously built not over a short period of time but over 2000 years.

So many Commissions and Committees have been appointed during the past three decades and they have all submitted their Reports. Kaka Kalelkar Commission submitted its report in 1952 and till today the recommendations of the Commission have not been implemented and the hon. Member has brought forward this Bill to give effect to the main recommendations of the Kaka Kalelkar Commission. In these circumstances, how do you expect the backward classes, scheduled castes and scheduled tribes to come out of the clutches of caste-bound society? The constitutional provision about reservation of jobs for the backward classes, scheduled castes and scheduled tribes should at least be implemented now in full, after 27 years of the emergence of our Republic.

I am privileged and proud to say that Tamil Nadu occupies a pre-eminent place in India so far as social renaissance is concerned. The struggle for social equality started in Tamil Nadu in the beginning of this century. In other States even today it has not begun. If any step is taken by the Government of Bihar or by the Government of U.P. for the amelioration of the conditions of downtrodden, you find an uprising from the upper classes. The Justice Party in Tamil Nadu demanded reservation for these people as early as 1921. The name of the Party itself denotes Justice for the socially oppressed people. In 1916 Non-Brahmin Movement was started in Tamil Nadu. As a result of the success of this movement, today in Tamil Nadu Adidravidas and others today enjoy a certain measure of equal status and rights. If the Northern States want to get rid of educational, social and economic backwardness of oppressed and backward classes, for which casteism is mainly responsible, such a non-Brahmin Movement should be started forthwith in these States. I would appeal to my hon. friends belonging to the States to ponder over this suggestion and start such a non-Brahmin movement immediately. In Tamil Nadu the Adidravidas have 18 per cent reservation and the Backward classes 31 per cent reservation in educational institutions and also in jobs. Inspite of stiff resistance from the then Chief Minister, Shri Rajaji, Harijans Temple Entry became a successful movement. Today in the temples of

*The original speech was delivered in Tamil.

Tamil Nadu anyone belonging to any caste can became a priest. Even an Adidravidas can become a priest. The D.M.K. enacted a specific law for this purpose, but the Supreme Court has annulled it. The hon. Members must press upon the respective State Governments to enact such a law so that anyone belonging to any caste can become a priest and the stranglehold of Brahmins in this field can be broken. We must wage a relentless war in this direction and then only we will be able to succeed.

Periyar Thanthai Ramaswami as early as 1925 proclaimed that we must get rid of the Brahmaneeyam before we drove out the Britishers. He stated that "we have to settle the Brahmin question even before the British supremacy was ended; otherwise we would have to suffer the tyranny of Brahmanocracy." This he said in 1925. We are suffering even today because the other parts of the country did not pay heed to this clarion call. We have got freedom, but this freedom is in the hands upper-caste people. It has not percolated down to the people at the lower strata of society. If freedom has to become a reality in this country for all the people, we have to change this social framework, if necessary even by violence. Before I conclude, I would urge upon my colleagues to start immediately in their respective States a non-Brahmin Movement to break the shackles of casteism.

With these words I conclude my speech.

SHRI KANWARLAL GUPTA: The Chairman promised that he would give me time. The time was also extended by 1 and ½ hours.

MR. CHAIRMAN: The discussion started at 4.07, one and half hours will be over at 5.37. The Minister wants 20 minutes, the Mover of the Bill wants 20 minutes. We do not have forty minutes left; as it is, we will be going a few minutes over the stipulated time. That will leave ten or fifteen minutes to the next Bill, so that Shri Pandit can move the Bill for consideration. If I give time for one person now, there are so many other persons to whom I shall have to give time.

श्री राम अवधेश सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल के लिये समय बढ़ाया जाये, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, यह देश के 80–90 प्रतिशत लोगों से संबंधित मामला है, यह कोई खिलवाड़ नहीं है, साधारण बिल नहीं है। हालांकि जिस ढंग से यह पेश हुआ है, उस से लगता है कि यह साधारण बिल है, लेकिन यह सामाजिक क्रान्ति करने वाला बिल है, साधारण बिल नहीं है। इस पर पूरी बहस होनी चाहिये और जितने लोग हिस्सा लेना चाहते हैं उन को हिस्सा लेने की आजादी मिलनी चाहिये। इस लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस का समय बढ़ाया जाय।

MR. CHAIRMAN: Dr. Vasant Kumar Pandit, is he willing to lose his opportunity?

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): I should get time to move for consideration of my Bill.

श्री कंवर लाल गुप्त : 20 मिनट और बढ़ा दीजिये और आखिर में उन के लिये पांच मिनट रख दीजिये।

MR. CHAIRMAN: In any case the whole thing must finish before 6. I can extend the time only by 10 or 15 minutes. Only one more person can speak, not all.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura): It has been the practice here, that if Members want extension of time, the Chair invariably takes the sense of the House. Several Members are proposing that the time should be extended. You take the sense of the House.

MR. CHAIRMAN: When we have a Bill in our name, we want that our turn should be there. Shri Pandit's Bill is in the list, if he does not move that Bill today, he may not got an opportunity next time, it cannot be extended beyond that.

अगर आप का बिल आज शुरू नहीं होता है तो फिर बैलेट में जायगा, आगे आयेगा या नहीं–मैं नहीं कह सकती हूं। श्री कंवर लाल गुप्त।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : सभापति महोदया, जिस उद्देश्य से यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है, उस में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। मैं सिद्धान्त रूप में इस का समर्थन करता हूं, क्योंकि आज

[श्री कंवर लाल गुप्त]

हमारे देश में 30—32 साल की आजादी के बाद भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन के पास खाने के लिये दो समय रोटी नहीं है और विशेषतः जो हमारे हरिजन भाई हैं, उन पर आजादी के बाद से ही नहीं, हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने उन पर जिस तरह से अत्याचार किये हैं उस के लिये आज हम दोषी हैं और उस का निवारण करना अत्यन्त आवश्यक है। मैं उन की भावनाओं की कद्र करता हूं जो इस बिल को लाए। मैं इस का भी समर्थन करता हूं कि जो विधान में एक प्रावधान है कि हरिजनों के लिए और जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, उन के लिए जो संरक्षण है, वह रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार इस के लिए पूरा प्रयास करे कि जितना संरक्षण उन के लिए है, वह जल्दी से जल्दी पूरा हो, लेकिन इस के अन्दर एक बात कही गई है कि हम कास्टइज्म को खत्म करना चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी संरक्षण होना चाहिए। मैने इस बिल को पढ़ा है और इस में अच्छी बातें भी हैं लेकिन मेरा एक ही कहना है कि बैकवर्ड क्लासेज का अगर एक करोड़पति भी है, तो क्या उस के बच्चे को भी मुफ्त शिक्षा दी जायेगी और एक ब्राह्मण है जो भूखा है, नंगा है, प्यासा है, क्या उस को रोटी नहीं मिलेगी ?

श्री राम अवधेश सिंह : यह आप की समझ में नहीं आएगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा कहना यही है कि हम कास्ट की बात न करें। हम यह कहें कि जो गरीब है, जो भूखा है, जो नंगा है .....

श्री राम अवधेश सिंह : क्या लखपति हरिजन को ब्राह्मण प्रणाम करता है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे बोलने दीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत लोग जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं, उन के लिए कुछ होना चाहिए। हम यह कहें कि देश में कितनी आय होती है, उस का 90 परसेन्ट उन 50 परसेन्ट लोगों को जाना चाहिये जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। आज भी हो रहा है और जनता पार्टी के पहले भी उन का शोषण हुआ है और कुछ लोग ही ऐसे हैं जो प्रीविलेज्ड हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, जो गरीब हैं, वे और गरीब होते जा रहे हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आज भी वैसा ही हो रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जातिवाद को खत्म कर के जो गरीब हैं और जो सब से नीचे वाले हैं, उन को ज्यादा से ज्यादा चीज पहुंचे। इस के लिये मेरा एक सुझाव यह है कि जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे के हैं, उन 50 परसेंट लोगों के लिए सरकार एक योजना बनाए जिस में उन को यह गारन्टी दे कि फिक्स्ड प्राइस के ऊपर उन को खुराक मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा और उन के बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी और उनका इलाज भी मुफ्त होगा। आज जिस तरह की कास्टइज्म की लड़ाई लड़ी जा रही है और बैकवर्ड के नाम से कास्ट की बात की जा रही है, यह देश में आग लगाने की बात है। आज कास्ट के नाम पर लड़ाई लड़ना, भाषा के ऊपर लड़ाई लड़ना और किसी के मजहब के नाम से लड़ाई लड़ना, इस से देश आगे नहीं जाएगा बल्कि इससे देश पीछे रह जाएगा। इसलिये जरूरत इस बात की है कि जो गरीब हैं, चाहे वह कोई भी हो, उस के लिये कुछ होना चाहिए। मैंने हरिजन का समर्थन क्यों किया। वह इसलिए कि हरिजनों में से शायद 100 में से एक भी ऐसा नहीं है जो गरीब न हो। इसलिए मैं उन का समर्थन करता हूं लेकिन जो बैकवर्ड हैं जैसे अहीर हैं, वह बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती है, दिल्ली के अन्दर, मैं और जगहों की बात तो नहीं जानता, हमारे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी अहीर हैं, वे बड़े अच्छे आदमी हैं और काफी पैसे वाले आदमी हैं। क्या उन के बच्चों को तो शिक्षा मुफ्त मिलेगी, और दूसरी ओर किसी कौम के बच्चों से शिक्षा के लिए पैसा लिया जाएगा ? यह नहीं होना चाहिए। यह सब कास्ट के बेसिस पर नहीं होना चाहिये। इकोनोमिक कंसीड्रेशन पर होना चाहिये। जहां तक सर्विस का सवाल है मैं कहता हूं कि देश की आय का 90 प्रतिशत उन लोगों के पास है जिन का 10 प्रतिशत है। देश की आय का 90 प्रतिशत भी 90 प्रतिशत लोगों के पास जाना चाहिए। लेकिन सभापति महोदया, यह केवल नौकरियों का ही सवाल नहीं है। इस में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात भी शामिल है। जब तक देश का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक आप कितना बांटियेगा ? डिस्ट्रिब्यूशन का भी इस में सवाल आता है। मैं कंसेन्ट्रेशन आफ वैल्थ के बिल्कुल खिलाफ हूं। कुछ लोगों के पास पैसा हो, कुछ लोगों के पास महल खड़े हों इस से देश में शान्ति नहीं रह सकती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी योजना बनायें जिससे देश की प्रगति हो और देश में धन बढ़े, देश की आय बढ़े और उस आय का 90 प्रतिशत हिस्सा गरीब लोगों के पास में हो। तभी कुछ हो सकता है। जनता पार्टी के मैनीफैस्टो में भी यही कहा है। वहां आरक्षण कास्ट के बेसिस पर करने की बात नहीं है। इकोनोमिक कंसीड्रेशन के हिसाब से करने की बात है।

बाकी इस बिल में जो यह कहा गया है कि हरेक के लिये मकान हो, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। पब्लिक स्कूल हटने चाहियें। जहां तक इस बिल में इकुअलिटी की बात है, वह सारी ठीक है। इसलिये मैं इस बिल की भावनाओं का तो समर्थन करता हूं लेकिन यह चाहता हूं कि इस में जो बैकवर्ड शब्द है, वह इकोनोमिक कंसीड्रेशन होना चाहिये, कास्ट कंसीड्रेशन नहीं होना चाहिये।

*SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat) Madam Chairman, unreservedly and unhesitatingly I pay my compliments to the hon. Member, Shri Roop Nath Singh Yadav, who has brought forward this legislation of farreaching social implications. I am only sorry that the Government of India has not thought it possible to get such a Bill enacted for the implementation of the

*The original speech was deliveredin Tamil

Articles of the Constitution which relate to the uniform pattern of education, dignity of an individual in the society and economic equality. Articles 14 to 18 have so far remained dead-letters. The backward classes, Hari jans and Girijans are still being subjected to all sorts of exploitations and atrocities. The constitutional guarantee of reservation of jobs for them is still an illusory provision for these people. It is really unfortunate that the Government have not been able to remove the educational, social and economic backwardness of oppressed and backward classes. I have to say with all the strength at my command that casteism is responsible for social backwardness in our country.

Our Poet-Saint Bharathiyar used to sing that in this sacred land none is born low and none is born high; everyone is equal at birth. Yet our country has continued to practise untouchability. Besides economic disparity, we have two classes of literates and illiterates. In this late 20th century, you will find in rural areas the oppressive treatment of the uneducated by the semi-literates and literates. We have got the programme of compulsory free education and also adult education programme. The primary education is free throughout the country. Unfortunately, there is no machinery to check why this programme has not met with success in removing illiteracy from this soil of learning and knowledge. The drop-out in the rural areas is substantial that the entire programme looks futile.

As has been pointed out by my hon. friend, Shri Asaithambi, the economic backwardness can be removed to some extent by suitable programmes of action. But the social backwardness of the people, especially in the agrarian society of our country, can be removed only by a cultural renaissance in fact I would say by cultural revolution. The culture of the country must be consolidated, magnified, glorified, enhanced and sublimated. Then only the lower caste people will be able to get their moorings. It is not merely by constitutional guarantees that we can achieve this laudable objective. I would suggest the social welfare measures being adopted by Tamil Nadu to be emulated by all other States in the country. Then only the nation can get rid of casteism. As suggested by Shri Asaithambi I also feel that social reform movements should be started in all the States. I am reminded here of Henry VIII's classical quotation Reformation, Renaissance and Revolution. This should become our guiding principle if we at all we want to uplift the down-trodden.

Article 24 of the Constitution debars child labour, especially upto 14 years of age. But, unfortunately child labour in our country is the main source of income for the indigent parents. Unless their economic conditions are improved, they cannot but help sending their children to toil in factories. What is the use of having a constitutional provision which cannot be implemented? Similarly, the constitutional provisions of compulsory free primary education, which has become a distant dream for the people of the country. Economic equality has become as elusive as an eel for the emaciated down-trodden in the country. 30 years after independence, more than 30 crores of our people are living below marginal level of poverty, with less than a rupee as their daily income. At the same time we talk of gigantic schemes for economic development. All such talks have no meaning so far the socially oppressed are concerned. The constitutional provision of reservation of jobs for the weaker sections of society still remains unfulfilled. When these people do not have two square meals a day and potable water to quench their parched throats, how do you expect them to fight for their rights? When they cannot stand on their own legs, you cannot expect them to run.

The Minister should accept this Bill and create the machinery required for implementing the provisions contained therein.

[Shri A. Sunna Sahib]

With these words, I conclude by thanking the hon. Chairman who was kind enough to spare a few minutes for me.

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : श्री रूप नाथ सिंह द्वारा रखे गये विधेयक का मैं स्वागत करता हूं । यह कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है । हमारे देश में जाति व्यवस्था पिछले हजार डेढ़ हजार बरस से चली आ रही है । इस पर पहले भी हमले हुए हैं और इस को समाप्त करने का प्रयास किया गया है परन्तु वह अधूरा हमला रहा है । इस जनतंत्रीय व्यवस्था में वोट की जो ताकत है उस के जरिये ऐसा लगता है चौतरफा प्रहार करने की आवश्यकता है और वह हो रहा है ।

सामाजिक विषमता के प्रश्न को ले कर आरक्षण की बात कही जा रही है । काका कालेलकर कमीशन ने अपनी संस्तुति दी थी । परन्तु सरकार और समाज का जो शक्तिशाली वर्ग है उस के दिमाग का और उस की नीयत का इसी बात से पता चल जाता है कि 1955 में वह रिपोर्ट सबमिट हुई थी लेकिन आज तक उस को कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

यह केवल आर्थिक प्रश्न नहीं है । कुछ लोग हैं जो यह कहते हैं कि नौकरियों में या एजुकेशन में संरक्षण दे दिया जाए तो उस से उन की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी लेकिन मैं समझता हूं कि वह आर्थिक समस्या उतनी नहीं है जितनी सामाजिक प्रतिष्ठा की समस्या है । कुछ लोग कुशलता या कौशल का तर्क देते हैं और कुछ लोग हैं जो आर्थिक तर्क देते हैं । मैं समझता हूं कि हमारे देश में जाति और गरीबी दोनों एक साथ जुड़ गए हैं और आज भी हमारे समाज में बहुसंख्यक वर्ग ऐसा है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पीड़ित और उपेक्षित है । इसलिये उस को ऊपर उठाने की आवश्यकता है । उसे केवल नौकरियों में संरक्षण देने से काम नहीं चलेगा बल्कि राजनीति में, व्यापार में, तथा अन्य सभी क्षेत्रों में संरक्षण देने की आवश्यकता है । मैं मानता हूं कि आज कुछ जातियां आर्थिक रूप से थोड़ा ऊपर बढ़ गई हैं लेकिन पैदाइश की वहज से और सामाजिक बंधनों की वजह से वे आज भी पिछड़ेपन की परिभाषा में आती हैं । उन के लिये आप कोई आर्थिक सीमा निर्धारित कर सकते हैं । परन्तु कुछ अपवादों को उदाहरण के रूप में ले कर आप पूरी की पूरी व्यवस्था में यह चाहें कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक चलें, उन को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है तो यह न ठीक होगा और न ही उचित । इसी के साथ साथ जो गैर जाति में शादी की बात की गई उस के लिये तर्क तो बहुत दिये गये, परन्तु सचमुच में उन को सगुण रूप में लाने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । और मैं चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के इंसेंटिव्ज दिये जायें सरकारी नौकरियों में, व्यापार में और तमाम प्रकार की सुविधायें हों और ऐसे लोगों को समाज में प्रतिष्ठित किया जाय तो इस जाति को तोड़ने में सहायक होगी । यह आरक्षण नीति केवल प्रिविलेज कास्ट बनाने के पक्ष में नहीं है, और जो लोग इस तंग दिमाग में इस की मुखालिफत करते हैं मैं उस की निन्दा करता हूं । यह तो जाति को समाप्त करने का एक रास्ता है । और आज के युग में यह आवश्यक है कि जब तक समाज के उपेक्षित लोगों में नई शक्ति का स्रोत का सृजन नहीं करेंगे तब तक हजारों वर्ष पुरानी जाति व्यवस्था पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं ।

*SHRI A. MURUGESAN (Chidambaram): Madam Chairman, on behalf of All India Anna D.M.K. Party, I welcome the Indian Social Disparities Abolition Bill of my hon. friend Shri Roop Nath Singh Yadav. None of us can deny that Shri Yadav has done a signal service by bring such a comprehensive bill for the welfare of backward classes, scheduled castes and scheduled tribes. Section 10 of this Bill refers to inter-caste marriages. This formed the central part of Periyar E.V. Ramaswamy's social reform in Tamil Nadu. Arignar Anna translated this dream of Periyar into an action-oriented programme, which is now being effectively implemented by my leader, Puratchi Thalaivar Thiru M.G.R. We give gold medals, promotions and increments for those encouraging inter-caste marriages.

Section 15 of this Bill says that the priests in the prominent temples in the country shall not be from any particular caste or community. Every citizen shall be entitled to enter any temple as also to serve as its priest. We enacted a specific law for this purpose. an

Tamil Nadu was the first in the country to have a successful Temple Entry by Harijans Movement. Dr. Ambedkar called Tamil Nadu as "the Kohinoor of India," radiating and reflecting light all over in the matter of social upliftment of the oppressed.

Section 17 of this Bill talks about distribution of land to the landless and also a pucca built house for the

*The original speech was delivered in Tamil

harijans in the villages. Even if 25 per cent reservation becomes a reality so far as jobs in the Central and State Governments are concerned, it will be touching only the fringe of the problem, because out of 40 lakhs of jobs only 10 lakhs would get jobs. But the landless Harijan labour in the country is of the order of 11 crores. Unless their economic problem is solved, you cannot expect casteism to disappear from India. The schemes of slum clearance and houses for the agricultural landless in Tamil Nadu have been appreciated by World Bank and such other international organisations.

Ilayaperumal Committee has made similar recommendations. They should be implemented. It is really regrettable that if some meaningful measures are adopted in Bihar, the caste-Hindus and the upper-caste people start an uprising. The Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yadav, was removed from Office by the machinations of high-caste people. During the past 30 years, we have not given adequate representation to the Backward classes, scheduled castes and scheduled tribes in the posts of Ambassadors, Judges of Supreme Court, Chairman of U.P.S.C. and Chairman of Railway Service Commissions. After the advent of Janata Government, a high retired Official of this Secretariat was made the Chairman of South-eastern Railway Service Commission because of influence exercised by our Steel Minister with the Railway Minister. Do these Ministers exercise such influence in the case of scheduled castes and scheduled tribe candidate?

At the moment there is a wide gap between profession and practice. But in deference to the action-oriented leader, Shri M.G.R. who is triumphantly marching on the path of progress in Tamil Nadu along with 4 crores of Tamil people, I would suggest that this Bill should become a Government Bill so that al the provisions meant for the welfare of downtrodden can be implemented forthwith.

*SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan): Madam Chairman, I whole heartedly support this Bill which has been brought forth by Shri Roop Nath Singh Yadav. One thing we should note that even after 30 years of independence, casteism is still prevalent in our country. At the root of this we can find a dark aspect of democracy. We see that our political leaders select candidates for elections in a particular area on the basis of majority of voters belonging to a particular caste or community living there. In a 'Yadav' majority area they select a Yadav candidate, in a Muslim majority area they select a Muslim candidate, in a 'Ahir' majority area they select a Ahir candidate, they find out in which area Brahmins are in a majority and so on and so forth. The political leaders foment and exploit caste sentiments at the time of elections and they had been doing it over a long time. This is a dark side of our democracy. This problem of casteism cannot be solved by this Bill alone. There is the need to change our strategy of fighting elections. If this is not done then all those persons who will support this Bill today, will try to find out who is a Yadav candidate, who is a Muslim candidate, who is a Brahmin candidate etc., at the time of elections and voting.

Many aspects of this Bill has been discussed here. I want to say that in place of bringing a Bill on the basis of casteism, we should discuss it on the basis of two classes of people *viz.*, the exploiters and the ex ploited. We should try to bring a Bill to give protection to the exploited classes. Otherwise the real purpose will not be served. As was rightly asked by Shri Kanwar Lal

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri Raj Krishna Dawn]

Gupta. Should we enact a legislation to provide free education to the son of Babu Jagjivan Ram? Certainly not. Everybody will agree with that. We should all fight for the economically backward and weaker sections of our society. It is they who really need our protection. A legislation should be enacted with that purpose in view. If we are not sincere and only play for political manipulations, then a Bill like this will not achieve anything. We should proceed on the basis of two classes, i.e., the exploiters and the exploited, the rich and the havenots. Only today I saw in the newspapers that in Andhra Pradesh a scheduled caste M.L.A accompanied a Minister to visit a temple, but he was refused entry to that temple. Even after 31 years of independence such incidents are there and we are discussing this problem in the Parliament. This is a matter of great shame and regret. Since my time is short, I conclude here after once more extending my whole hearted support to this Bill. I thank the hon. Chairman for giving me time to speak on this Bill.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल) : महोदया, श्री रूपनाथ सिंह यादव ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, ...

श्री राम अवधेश सिंह : सभापति महोदय, व्यवस्था का सवाल है, बिना कोरम के आप कैसे प्रोसीडिंग्ज चलायेंगे ?

श्री बी० पी० मंडल : आप ऐसे नहीं चला सकते हैं ?

MR. CHAIRMAN: Let the quorum bell be rung ... Now there is quorum. The hon. Minister may continue his speech.

श्री धनिक लाल मंडल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य , श्री रूपनाथ सिंह यादव, ने अपने विधेयक का जो उद्देश्य बताया है, मैं समझता हूं कि उस पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। समाज में जो भेदभाव, विषमता और नाबराबरी है, उसके कई कारण हैं। लेकिन श्री यादव ने जाति-व्यवस्था को मुख्य कारण माना है। यह बात सही है कि न केवल हिन्दू समाज में, बल्कि सभी धर्मों में, जाति-व्यवस्था कमो-बेश है। हिन्दू समाज तो जाति-व्यवस्था पर आधारित ही है। दूसरे धर्म भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। इस लिए एक अर्थ में सारा भारतीय समाज जाति-व्यवस्था पर आधारित हो गया है।

जैसा कि श्री यादव ने बताया है, उस व्यवस्था की वजह से समाज में विषमता, भेदभाव और डिसक्रिमिनेशन पैदा हो गये। मामला यहां तक चला गया कि कुछ लोगों को अछूत, अस्पृश्य, बना दिया गया, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। ये जातिवादी व्यवस्था के दुर्गुण हैं, जो उन्होंने बताये हैं। इसके और भी कारण है—आर्थिक कारण भी हैं—, लेकिन यह मूल कारण है, जो श्री यादव ने अपने विधेयक में बताया है और इससे मेरी सहमति है। इस कारण से समाज में जो विषमता पैदा हुई है, उसको दूर करने के लिए, और समानता तथा समता का समाज बनाने के लिए, उन्होंने अपना यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

हम अपने देश में समता के समाज, जनतंत्रीय समाज, खुले समाज और निर्भय समाज का निर्माण करना चाहते हैं—एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें मनुष्य के सभी गुणों का विकास हो, वह पूर्ण विकास की स्थिति में पहुंचे। यह स्पष्ट है कि इस तरह के समाज को बनाने के लिए इस व्यवस्था को जाना होगा। इस व्यवस्था के गये बिना समाज में समानता नहीं आयेगा, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, समाज को इस बात के लिए तैयार होना चाहिये कि वह इस जातिवादी व्यवस्था से छुटकारा ले ले। यदि जातिवादी व्यवस्था से हम छुटकारा नहीं लेते हैं—कीमत चुका कर भी, तो हम सदा के लिए कमजोर बने रहेंगे। यहां तक तो मेरी उनसे सहमति है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसा समाज बनाने के लिए बहुत से उपाय करने होंगे, जिनमें उन्होंने आरक्षण की भी बात कही है। अपने विधेयक में उन्होंने तीन चार श्रेणियों का नाम लिया है, जैसे हरिजन, शिड्यूल्ड कास्ट्स, गिरिजन—शिड्यूल्ड ट्राइब्ज, अदर बैकवर्ड क्लासिज, माइनारिटीज। इन लोगों के बारे में उन्होंने कहा है कि ये सब ऐसे समाज के दुर्बल अंग हैं जिन को संरक्षण देना होगा, आरक्षण देना होगा, उन को सहारा देना होगा। सहारा दे कर के ही हम उन को आगे बढ़ा कर समाज में समता कायम कर सकते हैं और विषमता को खत्म कर सकते हैं।

जहां तक हरिजनों की स्थिति है यह स्पष्ट है कि उन को आरक्षण है और बहुत पहले से है, संविधान बनने के पहले से है। संविधान बनने के बाद भी उन की यह स्थिति रही। जहां तक गिरिजन हैं, उनके लिए भी संरक्षण है।... (व्यवधान)... ये जो हरिजन और गिरिजन हैं इनके लिए जो आरक्षण है, वह पूरा हो, उसके लिए हम लोग

बराबर कोशिश कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन को जो आरक्षण मिला वह पूरा नहीं किया गया। तीस वर्षों तक जो कांग्रेसी हुकूमत रही उस में उन को 22.5 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद आज तक 4.4 प्रतिशत आरक्षण ही मिल पाया है। यह उनकी स्थिति रही है। अभी जो हमारी हाई पावर कमेटी है उसमें हम ने यह निर्णय लिया है कि इन की इस कमी को पूरा करने के लिए जो बैकलाग है उस को पूरा किया जाय और उस बैकलाग को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय जिस के लिए सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई गई है जो यह सुझाव देगी कि कैसे इस को समयबद्ध सीमा के अन्दर पूरा कर दिया जा सकता है और आगे कोई कमी न हो, जो आरक्षण मिला हुआ है उस में कमी न रह जाय, उस के लिए, व्यवस्था की जा रही है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वास्त करना चाहता हूं कि हम लोग इस मामले में बहुत ही चिंतित हैं कि जो भी उन को आरक्षण मिला हुआ है कायदे से, कानून से, उस को पूरा किया जाय। उस में किसी तरह का हीला हवाला न किया जाय। यह हमारी कोशिश हो रही है। लेकिन उस के संग संग और भी उपाय किए जा सकते हैं। जैसे, जब से यह सरकार बनी है,एक सरकार ने निर्णय किया कि पांच साल के अन्दर हम को अस्पृश्यता से छुटकारा पाना है। यह जो समाज का कोढ़ है, रोग नहीं कोढ़ हो गया है, यह बदबू कर रहा है और सभापति महोदया जानती हैं कि यह कितना बदबू करता है, जगह जगह फटता रहता है। जिस से पूरे समाज में, पूरे देश में और इस सदन में भी बेचैनी हो जाती है। तो यह न हो, इस को खत्म किया जाय, इस के लिए और भी सारे उपाय किये जा रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने मुझे 15 मिनट का ही समय दिया है।

जो और दूसरा वर्ग है जिस के बारे में अभी विशेष जोर दिया जा रहा है वह है अदर बैकवर्ड क्लासेज। अदर बैकवर्ड क्लासेज की क्या परिभाषा हो और उन को क्या संरक्षण मिले इस के सम्बन्ध में एक कमीशन बना था, काका साहब कालेलकर कमीशन। 1953 में ही इस कमीशन का गठन किया गया था। 1955 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। वह बहुत वाल्यूमिनस रिपोर्ट है। उस पर तत्कालीन सरकार जो थी, उस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की और वह कोल्ड स्टोरेज में रख दी गई। उस के बाद अब जो यहां मांग हो रही है या जब से यह नई सरकार आई है, उस से यह मांग हो रही है, यह मांग तो बराबर होती रही। मांग तो कभी रुकी नहीं, लेकिन सदन में काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हुई। देश में यह मांग होती रही और जनता पार्टी के भी घोषणापत्र में यह है। यह इस बात का सबूत है कि देश में मांग होती रही, लोगों की इच्छा थी। इस को ध्यान में रख कर इस सरकार ने एक नये कमीशन का गठन किया है। श्री बी० पी० मंडल उस कमीशन के अध्यक्ष हैं। यह पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान की 340वीं धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित किया गया है। इस के भी टर्म्स आफ रेफरेंस वही सब हैं जो काका कालेलकर साहब कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस थे यानी पिछड़ा वर्ग कौन है। जब वह कमीशन इस निर्णय पर पहुंच जाता है, कसौटी बना लेता है, क्राइटीरियन बना लेता है, फिर उसके अनुसार उन को उस की सूची बनानी है।

श्री राम अवधेश सिंह : प्वाइंट आफ आर्डर . .

श्री धनिक लाल मंडल : हम को तो बहुत कम समय मिला है, आप अपनी बात कह चुके हैं . . .

श्री राम अवधेश सिंह : प्वाइंट आफ आर्डर पर मैं खड़ा हूं।

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I am not allowing you. Under what rule you are raising a point of order?

श्री राम अवधेश सिंह : मैं प्वाइंट आफ आर्डर से यह जानना चाहता हूं कि जब पहले कमीशन की रिपोर्ट है, परिभाषा भी है और जब तक पहले कमीशन को रद्द नहीं किया गया इस सरकार के द्वारा तब तक नया कमीशन कैसे बहाल कर दिया गया ?

MR. CHAIRMAN: I have not allowed you. Mr. Minister, please go ahead.

श्री धनिक लाल मंडल : संविधान की धारा 340 की उपधारा (1) के अधीन श्री बी० पी० मण्डल की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया है और उनसे यह कहा गया है कि यह जो संविधान में अदर बैकवर्ड क्लासेज का उपबन्ध है, जिसको सोशली ऐंड एजूकेशनली बैकवर्ड कहा गया है वह कौन है, उसका क्राइटीरिया बना कर के उसकी सूची तैयार करें।

श्री राम अवधेश सिंह : फिर चुनाव घोषणा-पत्र में आपने वायदा क्यों किया था ? (व्यवधान)।

श्री धनिक लाल मण्डल : कमीशन इस बात को बताए कि इसके सम्बन्ध में क्या उपाय करने हैं। समता वाले समाज का जो निर्माण करना है उसके लिए क्या किया जा सकता है जिसमें कि आरक्षण भी शामिल है —यह कमीशन के टर्म्स आफ रेफ्रेन्स में है। यह कमीशन बैठ गया है, यह कोई कल्पना की चीज नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन में दिसम्बर में इस कमीशन की घोषणा की थी और वह कमीशन काम कर रहा है। (व्यवधान)।

श्री राम अवधेश सिंह : तीन महीने में कमीशन को अभी दफ्तर भी नहीं मिला है।

MR. CHAIRMAN: Will you please stop? I will not allow you to go on interrupting the Minister.

श्री धनिक लाल मंडल : आप इस कमीशन से भी कुछ कहियेगा। केवल हमसे ही कहेंगे? जितनी जल्दी कमीशन काम कर देगा, हम भी उतनी ही जल्दी कर देंगे। (व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि कमीशन बन गया है। अदर बकवर्ड क्लासेज के नाम से जो उपबन्ध हैं उसके लिए भी सरकार बिल्कुल सजग है, सचेष्ट है और चिंतित है कि उनकी दशा में भी सुधार होना चाहिये, उनको भी दूसरे समूहों के समक्ष लाना चाहिये। समतावादी समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। इसलिए यह कमीशन जब अपना प्रतिवेदन देगा तो उस पर कार्यवाही होगी, आप निश्चित मानिये कि कार्यवाही होगी क्योंकि उस पर सदन में भी विचार विमर्श होगा, आप भी उस पर अपनी राय देंगे।

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, रूपनाथ सिंह जी ने इण्टर-कास्ट मैरिजेज की बात की है, पब्लिक स्कूल समाप्त करने की बात की है, पंचायत स्तर पर स्त्रियों को, खासकर हरिजन लड़कियों को पढ़ाने की बात की है, लैंडलेस लेबरर के लिए होम-साइट, प्लाट देने की बात की है—यह सभी जितनी भी बातें कही गई हैं उन सभी पर हमारा पूरा ध्यान है। मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरिजनों को डेवलप्ड साइट दे कर बसाने के लिए भी हमारे पास योजना है। जो हरिजन गर्ल्स हैं उनको पढ़ाने के लिए भी हमारी ओर से सेन्ट्रली स्पांसर्ड योजनायें चल रही हैं। ऐसे 800 हास्टल्स हैं और आगे भी खोले जाते रहेंगे। इसलिए यह सारी बातें जो आपने सुझाई हैं उन पर हमारा पूरा ध्यान है।

यह जो अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए आरक्षण की बात है उसके लिए कमीशन एप्वाइंट कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में मैं माननीय रूपनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा—सरकार की चेष्ठा को देखते हुए, सरकार के प्रयास को देखते हुए, सरकार की तत्परता को देखते हुए कि किस तरह से हम समतावादी, गणतंत्री निर्भय समाज की स्थापना करना चाहते हैं, हमारी आशा है कि इसी प्रकार से आप समय समय पर सुझाव देंगे, यह आपका अधिकार है लेकिन अभी जो स्थिति है वह मैंने आपको बतला दी अतः सरकार से सहयोग करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस विधेयक को वापिस ले लें।

सभापति महोदय : 10–12 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री रूप नाथ सिंह यादव : (प्रतापगढ़) : महोदया, जब इतने राष्ट्रीय महत्व का मामला सदन में पेश हो, तो सदन का सारा समय इस में लगना चाहिये और कई दिन तक इस पर बहस होनी चाहिये। आपने समय इतना सीमित कर दिया है कि उतने समय में इस पर जितने विचार आये हैं, इस के पक्ष में या विपक्ष में, उन का कैसे उत्तर दे पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा—संक्षेप में, उन सभी तथ्यों को जो इस के विरोध में आये हैं, जवाब दूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस का विरोध किया है, शायद दो-एक माननीय सदस्य ही हैं, वे इस समय सदन से चले गये हैं। माननीय चतुर्वेदी जी ने इस का विरोध किया है—मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी का जो घोषणा-पत्र है, जिस के आधार पर वह चुनाव जीत कर आये हैं, उस में लिखा हुआ है कि काका कालेलकर की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार पिछड़े वर्ग को नौकरी में 25 से 35 फीसदी तक आरक्षण दिया जायगा। इस के अलावा हमारे संविधान की धारा 340 और 15(4) तथा 16(4) में दिया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन को नौकरी में आरक्षण दिया जायगा। आरक्षण क्यों हो और किस आधार पर हो—इस पर बड़ा विवाद चल रहा है, जब कि यह विवाद नहीं होना चाहिये।

इस विषय पर, महोदया, जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, जैसे तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्णाटक, केरल आदि राज्यों में आरक्षण के बारे में जो आदेश निकले, उन को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन को वैध कानून माना है। जहां कहीं आदेश में थोड़ी गलती हो गई थी, बजाय पिछड़ा वर्ग लिखने के, जाति लिख दिया था, वहां हाई कोर्ट ने आर्डर को क्वेश करते हुए कहा है कि यह दोबारा आ सकता है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में 15 फीसदी का आदेश दिया गया था, हाई कोर्ट में उस की चुनौती दी गई। उस आदेश में वहां की सरकार से यह गलती हो गई, हालांकि वहां लीगल डिपार्टमेण्ट है, सब कुछ है, शब्द "कास्ट" लिख दिया गया था, इसी आधार पर उस को चेलेन्ज किया गया और हाई कोर्ट ने कहा कि यह कास्ट के आधार पर हुआ है, इसलिए इस को क्वेश करते हैं। संविधान में भी दिया हुआ है—"पिछड़ा वर्ग," लोग इसी को लेकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जाति का नाम तो वास्तव में पहचानने के लिए है।

काका कालेलकर जी ने इस बारे में बहुत छान-बीन की थी, सारे देश का भ्रमण कर के दो-तीन वर्ष में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने हर स्टेट में उस क्लास को बतलाने की कोशिश की है। उस पिछड़े वर्ग को जानने के लिए, जैसे मनुष्य का नाम होता है उसी तरह से उस वर्ग को जानने के लिए उस का नाम दिया है, उसके पहचान के लिए जाति लिख दी है, कि ये-ये जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं, वर्ग को उन्होंने एक समूह माना है, जो पिछड़ गये थे, सदियों से पीछे चले गये थे, उन को बराबर में लाने के लिए कैसे उपाय किया जाय—यही बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है।

यह रिपोर्ट 1955 में आ गई थी और, महोदया, संविधान की धारा 340 के अन्दर साफ लिखा हुआ है—

"340(1). The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India........"

to find out their difficulties.

आप देखेंगी कि इस धारा में उन्होंने "सोशल एण्ड एजुकेशनली बैकवर्ड" शब्द रखे हैं और ये ही शब्द धारा 15(4) और 16(4) में रखे हैं। इस में "इकानामिकली" शब्द नहीं रखा है। उन के दिमाग में यह बात थी कि जो सोशली बैकवर्ड हैं वे ही अछूतों की कैटेगरी में आते हैं। जिस को समाज ने छोटा मान लिया है, उन गरीबों को हम इस में लेते हैं। आज जो सोशली बैकवर्ड हैं— वे गरीबी के आधार पर बैकवर्ड हुए हैं, पावर्टी लाइन के नीचे थे और समाज में धीरे-धीरे पीछे होते गये, उनको उन्होंने पिछड़ी जाति माना और और जब संविधान बनने लगा, तो डा० अम्बेडकर, डा० लोहिया और पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात से सहमति प्रकट की और इन क्लासेज को जो अछूत के नाम से थीं, उन को शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड टाइब्स के नाम से विधान में अनिवार्य रूप से संरक्षण दे दिया राजनीति में और नौकरियों में और पढ़ाई लिखाई में भी और इन के लिए आर्टीकिल 340 में राष्ट्रपति के ऊपर कर्तव्य डाला कि वे अपना कर्तव्य निभाएं एक कमीशन बना कर। संविधान सन् 1950 में लागू हुआ और 1953 में यह कमीशन बन गया और 1955 में उस की रिपोर्ट आ गई। 1955 से ले कर आज तक यानी 1979 तक करीब 23 साल पूरे बीत गये इस रिपोर्ट को आए हुए और जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह कोल्ड स्टोरेज में फेंक दी गई। यह सदन गरीबों का भी है क्योंकि गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, शोषित वर्गों की संख्या ज्यादा है, गरीब पिछड़े हुए सभी गरीब और शोषित लोगों ने हम को वोट दिया है और उस से यह छटी लोक सभा बनी है। जब उन की संख्या ज्यादा है, तो क्या उन के लाभ के लिए, उन के उत्थान के लिए और उनकी उन्नति के लिए, उन को बराबर लाने के लिए और संविधान की मर्यादा पूरी करने के लिए कि समतावादी समाज बने, इस देश में, उस को पूरा करने के लिए क्या हम कोई कानून नहीं बना सकते। मुझे अफ़सोस हो रहा है कि इधर 30–32 वर्षों में इस तरह का कोई कानून न सरकार लाई और न कोई बिल पेश किया गया। समतावादी समाज बनाने के लिए, काका साहेब कालेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार कोई कानून आज तक नहीं बना। इसलिए मैंने इस बिल को ला कर अपना कर्तव्य निभाया है। जनता पार्टी के मैनीफेस्टो में लिखा था, हमारी सरकार और जनता पार्टी कमिटेड हैं, यह वायदा कर चुकी हैं कि सरकार बनते ही इस को पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस चीज को पूरा किया जाए। सरकार ने एक नया कमीशन बैठा दिया है। नया कमीशन बैठ गया, ठीक किया। इस कमीशन का टर्म्स आफ़ रेफ़ेन्स और पुराने कमीशन का टर्म्स आफ़ रेफ़ेन्स एक सा ही है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बड़ा अच्छा नकशा समाजवादी समाज का खींच दिया और यह कहा कि हम बहुत सजग हैं। जागरूक हैं। दो वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। कमीशन ने 25 से 33 कहा है और मैनीफेस्टो में भी 25 से 33 कहा गया है, सिद्धान्त को हम मान ही रहे हैं, तो थोड़ा सा आदेश जारी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। गवर्नमेंट आरक्षण कर सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से, कि वे इस पर ध्यान दें और अपनी जागरूकता और सजगता का जो विषय बनाया है, उस को कार्य रूप में परिणत कर दें। सिद्धान्त रूप में हम ने इस को मान लिया है, तो कार्य रूप में भी इस को कर दें। 65 करोड़ जनता का यह सदन है और यहां से जो कानून बनेगा, वह सब पर बाइंडिंग होगा। आज हमारे यहां 90, 95 प्रतिशत लोग गरीब हैं, और 56, 57 फ़ीसदी लोग, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पावर्टी लाइन के नीचे हैं। उन की आर्थिक दशा खराब है। उन के लिय कोई उपाय नहीं हुआ है और जो 10 साल में रोजगार देने की बात है, उस दिशा में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

आखीर में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल का जो तमाम माननीय सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर समर्थन किया, मैं उन का धन्यवाद देता हूं, और उन का आभारी हूं। सरकार को भी यह स्वीकार्य है और इस की भावना का उस ने आदर किया है, कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन समय जो मांगा जा रहा है, उस के लिए फिर अनुरोध करूंगा कि एक्टिव कंसिड्रेशन की मियाद कितनी है, यह माननीय मंत्री जी बता दें। गवर्नमेंट के जो विचाराधीन है, उस की मियाद क्या है और नये कमीशन की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, उन्होंने अपने उत्तर में यह सब नहीं बताया है। कमीशन बनाने के बारे में 20 दिसम्बर को इसी सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी और नया कमीशन बैठ गया लेकिन अभी तक उस की कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष जो इस नये कमीशन के नियुक्त किये गये, जो कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं, वे यहां मौजूद हैं। उनका काम शुरू हो गया है। इसलिए, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वे तत्काल रिपोर्ट दे दें ताकि बिना बिलम्ब किये जनता पार्टी अपने वायदों पर अमल कर सके और जनता में जनता पार्टी की तारीफ हो, उसकी हानि न हो। मण्डल जी के भाषण से मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह इस बिल के खिलाफ हैं। इस लिए मैं मण्डल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस कमीशन को कहें कि वह अपनी रिपोर्ट जल्दी से दे दें।

[श्री रूप नाथ सिंह यादव]

सरकार को मैं इस के लिए भी बधाई देता हूं कि उसने ऐसा कमीशन बनाया है और उसके जो अध्यक्ष बनाये हैं वे ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों के हमदर्द हैं।

MR. CHAIRMAN: There are two amendments to the Bill. (*Interruptions*). I am sorry, there are only two minutes more. Within these two minutes I have to finish the business of the House.

Dr. Ramji Singh, are you withdrawing your amendment?

DR. RAMJI SINGH: I seek leave of the House to withdraw my amendment.

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: There is another amendment, Amendment No. 1, in the name of Shri Hukamdeo Narain Yadav. I will put it to vote. The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th May, 1979." (1)

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing your Bill?

श्री रूपनाथ सिंह यादव यह मैंने नहीं कहा है।

MR. CHAIRMAN: You have said it. What more do you want to say?

श्री रूपनाथ सिंह यादव: मैं कहने वाला हूं। चूंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस पर तत्काल विचार करेगी तो मैं इस हाउस को इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री जी यह बतादें कि इस बजट सत्र में क्या इस पर विचार हो जाएगा ?

श्री धनिक लाल मण्डल : कमीशन की रिपोर्ट आने पर ही यह हो सकता है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : कमीशन की रिपोर्ट आने में कितने महीने और लगेंगे ? यह रिपोर्ट कितनी देर में आयेगी ?

सभापति महोदय : यह आपने कहा है।

He is not in a position to say. Are you withdrawing your Bill?

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV: I seek leave of the House to withdraw the Bill to provide for abolition of social disparities, casteism and removal of educational, social and economic backwardness of Harijans, Girijans and other backward classes.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to provide for abolition of social disparities, casteism and removal of educational, social and economic backwardness of Harijans, Girijans and other backward classes."

The motion was adopted.

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV: I withdraw the Bill.

17.58 hrs.

PREVENTION OF SOCIAL DISABILITIES BILL

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): I beg to move:

"That the Bill to prevent the imposition of social disabilities by a member or members of a community on a member or members of his or their own community, to provide for penalties for such an act or acts and for matters connected therewith, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: He may continue on the next day.

Now, Shri Ravindra Varma.

17.59 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTIETH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to present the Thirtieth Report of the Business Advisorry Committee.

---

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February 26, 1979/Phalguna 7, 1900 (Saka)